राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा

जबकि, 31 अगस्त, 2022 को, बहुत कम या बिना किसी सूचना के, इलिनॉय राज्य और शिकागो शहर ने टेक्सास राज्य द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण मांगने वाले मध्य और दक्षिण अमरीकियों को परिवहन प्रदान करने वाली भेजी गई पहली बस को प्राप्त किया और उनका स्वागत किया; तथा,

जबकि, उस समय से, शरण मांगने वाले कई परिवार और लोग बहुत कम या बिना किसी सूचना के टेक्सास से शिकागो पहुंचे हैं; तथा,

जबकि, यह उम्मीद की जा रही है कि शरण मांगने वाले कई लोगों और परिवारों को आने वाले हफ्तों और महीनों में टेक्सास राज्य के निर्देश पर इलिनॉय में लाया जाता रहेगा; तथा,

जबकि, इलिनॉय स्वागत करने वाला राज्य है, जो लंबे समय से अप्रवासियों के संपन्न समुदाय द्वारा समृद्ध और अनवरत रहा है, और 1975 के बाद से 60 से अधिक देशों के 125,000 से अधिक शरणार्थियों को यहां फिर से बसाया गया है; तथा,

जबकि, शिकागो शहर और अन्य स्थानीय सरकारों के साथ निकट समन्वय में रही, राज्य की संस्थाएं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी कि यहां पहुंचने वाले लोगों और परिवारों को उनके कल्याण और इलिनॉय राज्य और इसके निवासियों के समग्र कल्याण की रक्षा के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त हो; तथा,

जबकि, शरण चाहने वाले परिवारों और इलिनॉय में आने वाले लोगों को आपातकालीन आश्रय और आवास; भोजन; स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा मूल्यांकन और उपचार; महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम, और/या अपराध के शिकार अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण सेवाएं (जिसमें कानूनी सेवाएं और रोजगार के लिए त्वरित सहायता शामिल है) और लाभों (जिसमें संभावित रूप से तस्करी, अत्याचार और अन्य गंभीर अपराधों (VTTC) के पीड़ितों को लाभ शामिल है) तक पहुंचने में सहायता करने के लिए मामला प्रबंधन सेवाएं; और पब्लिक स्कूलों में नामांकन सहित विशिष्ट और तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है; तथा,

जबकि, चूंकि ये परिवार और लोग अपने घरों से बहुत लंबी और कठिन यात्रा करते आ रहे हैं, उनमें से कई को चिकित्सा देखभाल की भी आवश्यकता होती है, जिनमें गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव से पूर्व देखभाल; बच्चों में कुपोषण, डिहाइड्रेशन और अस्थमा के लिए उपचार; पैर की चोट और घाव की देखभाल; टीकाकरण; और पुरानी स्वास्थ्य स्थिति का प्रबंधन भी शामिल है। इलिनॉय आने वाले कई वयस्कों, बच्चों और शिशुओं का मानसिक स्वास्थ्य अवलोकन और उनकी यात्रा के दौरान अनुभव किए गए आघात से उबरने के लिए देखभाल की आवश्यकता होती है; तथा,

जबकि, संपूर्ण राज्य में इलिनॉय राज्य और कई स्थानीय सरकारें नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश या शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों के साथ-साथ अतिसंवेदनशील आबादी की जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने में पूरी तरह से व्यस्त है; तथा,

जबकि, टेक्सास राज्य वर्तमान शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों को इलिनॉय में बिना किसी अग्रिम सूचना, जैसे कि वे कब आएंगे और इलिनॉय राज्य या शिकागो शहर के साथ बिना किसी समन्वय, के ले जा रहा है, जिससे इस उद्घोषणा की आवश्यकता हो रही है; तथा,

जबकि, आज तक, इलिनॉय राज्य और स्थानीय सरकारों ने मौजूदा बजट और संसाधनों का उपयोग करके और गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयंसेवकों के साथ घनिष्ट समन्वय करके शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया है; तथा,

जबकि, इन अतिसंवेदनशील परिवारों और लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाए बिना पार हो जाएगी; तथा,

जबकि, तत्काल कार्रवाई के बिना, शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों के लिए अल्पकालिक और मध्यवर्ती अवधि के आश्रय और आवास सहित; उन्हें समावेशित करने वाली सेवाएं जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी वकालत, और रोजगार के लिए त्वरित सहायता; अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के लिए मामला प्रबंधन कर्मचारी; और इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सभी स्तरों पर आवश्यक परिचालन के स्टाफिंग में; महत्वपूर्ण सेवाओं में क्षमता की कमी हो जाएगी; तथा,

जबकि, आपातकालीन आश्रय और आवास क्षमता के साथ-साथ कर्मचारियों और सेवाओं के लिए तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा करने, और पूरे इलिनॉय में शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों तथा समुदायों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण हेतु जोखिम से बचाने के लिए, राज्य को राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों के उपयोग की आवश्यकता वाले अनुबंधित सहायता को तत्काल प्राप्त करना चाहिए; तथा,

जबकि, मौजूदा इलिनॉय निवासियों के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित न हों, यह सुनिश्चित करते हुए इस उभरती स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक अंतर-एजेंसी और अंतर-सरकारी ढांचे के निर्माण और स्टाफ के लिए आपातकालीन कदम उठाना आवश्यक हैं; तथा,

जबकि, टेक्सास राज्य की कार्यवाहियों के कारण मौजूदा स्थिति की परिस्थितियां, इन अतिसंवेदनशील परिवारों और लोगों तथा राज्य के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए जोखिम पैदा करती हैं, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के अनुभाग 4 में प्रस्तुत के अनुसार आपदा की श्रेणी में आती है; तथा,

जबकि, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि राज्य किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहेगा और, इसीलिए, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक व उपयुक्त है; तथा

जबकि, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट) के अनुभाग 7 के अंतर्गत आपदा की उद्घोषणा जारी करने का विधिक औचित्य प्रदान करती हैं; तथा

जबकि, इलिनॉय का संविधान, अनुच्छेद V के, अनुभाग 8 में, यह कहता है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के न्यायसंगत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में कहता है कि, इलिनॉय के संविधान का केंद्रीय उद्देश्य "लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना" है;

अब, **अतः**, इलिनॉय के लोगों और लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण हेतु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, मैं, जे बी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), एतद्द्वारा निम्नवत उद्घोषणा करता हूं:

अनुभाग 1: इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट) के 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं यह पाता हूँ कि इलिनॉय राज्य के भीतर एक आपदा मौजूद है और राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूं। यह उद्घोषणा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 में प्रदत्त समस्त आपातकालीन शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं पर उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के इस्तेमाल के प्राधिकार की अनुमति देती है।

अनुभाग 2. इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज के साथ प्रमुख एजेंसी के रूप में सेवारत, निम्न राज्य के सभी अभिकरणों (एजेंसियों) को मौजूदा आपदा के प्रभावों का समाना करने, उससे उबरने की रणनीतियों एवं योजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में, जिसमें इलिनॉय में शरण की चाह लेकर आने वालों के लिए: इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज (जिसमें शरणार्थी और अप्रवासी सेवाओं का ब्यूरो है और राज्य शरणार्थी समन्वयक और राज्य मुख्य बेघर अधिकारी नियुक्त करता है); इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (जो राज्य शरणार्थी स्वास्थ्य समन्वयक को नियुक्त करता है); इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी; और इलिनॉय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सेवाएं भी शामिल हैं, राज्यपाल (गवर्नर) के साथ-साथ अन्य राज्य अभिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों, और इलिनॉय राज्य शिक्षा विभाग, और एक दुसरे के साथ समन्वय और सहयोग करने को निर्देशित किया जाता है।

अनुभाग 3. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) को राज्य आपातकालीन संचालन योजना को लागू करने और आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यों में राज्य की संस्थाओं और स्थानीय सरकारों का समर्थन करने के लिए राज्य के संसाधनों से समन्वय करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

अनुभाग 4. प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम द्वारा यथा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं किए गए हैं। आवश्यक होने की स्थिति में, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(1) के अनुभाग 7(1) के अनुसरण में, राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थगित करने के लिए उपयुक्त कार्यकारी कार्रवाई कर सकते हैं।

अनुभाग 5. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(3) के अनुभाग 7(3) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और उनके अभिकरणों या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या कार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को, आवश्यकतानुसार, सक्रिय करती है।

अनुभाग 6. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(10) के अनुभाग 7(10) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा अस्थायी आपातकालीन आवास की उपलब्धता और उपयोग के लिए प्रावधान करने के लिए, आवश्यकतानुसार, राज्यपाल (गवर्नर) के अधिकार को सक्रिय करती है।

अनुभाग 7: यह उद्घोषणा संघीय आपदा सहायता के अनुरोधों को सुगम कर सकती है, बशर्ते कि क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

अनुभाग 8. यह उद्घोषणा तत्काल प्रभावी होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

____

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)
राज्यपाल (गवर्नर)

दिनांक: 14 सितंबर, 2022